प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 07.10.2024

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा गौकशी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार व एक बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया।

आज दिनाकं 07.10.2024 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर गौकशी के अभियोग में वांछित एक शातिर गौकश अभियुक्त रिजवान पुत्र रमजान अली निवासी ग्राम मुंडेवर थाना भौरां कला जनपद मुजफ्फरनगर हाल निवासी कासिम विहार थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद को चौकी क्षेत्र रुपनगर से गिरफ्तार किया गया तथा एक बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि हम दोनों आपस में मित्र है। हमने दिनांक 29.09.2024 को अपने साथी 1. महबूब 2. आबिद 3. दिलशाद 4. छोटु उर्फ परवेज 5. शेखर जाट के साथ मिलकर रूपनगर में गौकशी की घटना की थी जिसमें आबिद कटी हुई गायो को लेकर दिल्ली बेचने के लिये चला गया था जिसे क्राईम ब्रांच दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और महबूब को पता चला कि पुलिस हमें तलाश कर रही है तो महबूब ने बागपत कोर्ट में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

1.रिजवान पुत्र रमजान अली निवासी ग्राम मुंडेवर थाना भौरां कला जनपद मुजफ्फरनगर हाल निवासी कासिम विहार थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र करीब 28 वर्ष।

2.एक बाल अपचारी

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त व बाल अपचारी के विरुद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त घटना के संबंध में गौकशी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीमः

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा वाहन चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की स्कूटी बरामद।

आज दिनांक 07.10.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 02 वाहन चोर अभियुक्तों 1. सोनू उर्फ जफर पुत्र लाला उर्फ जावेद निवासी अशोक विहार बुद्ध स्कूल के पास चेक पोस्ट वाली गली थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद 2. मोनिस उर्फ अरबाज पुत्र अलाउद्दीन निवासी अशोक विहार बुद्ध स्कूल के पास चेक पोस्ट वाली गली थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद को चोरी की स्कूटी के सहित गिरफ्तार किया गया। बरामद स्कूटी के संबंध में थाना ई-पुलिस स्टेशन एमवी थेफ्ट क्राइम ब्रांच दिल्ली पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हमने कुछ दिन पहले यह स्कूटी दिल्ली से चोरी की थी। आज हम इस स्कूटी को बेचने के लिए निकले थे कि आपके द्वारा पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता

1. सोनू उर्फ जफर पुत्र लाला उर्फ जावेद निवासी अशोक विहार बुद्ध स्कूल के पास चेक पोस्ट वाली गली थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र 20 वर्ष

2. मोनिस उर्फ अरबाज पुत्र अलाउद्दीन निवासी अशोक विहार बुद्ध स्कूल के पास चेक पोस्ट वाली गली थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र 20 वर्ष

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

स्कूटी चोरी के संबंध में 01 अभियोग दिल्ली में पंजीकृत है तथा चोरी का वाहन बरामदगी के संबंध में 01 अभियोग थाना ट्रोनिका सिटी पर पंजीकृत किया गया है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण

चोरी की 01 स्कूटी एक्टिवा बरामद।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम

थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा विशेष समुदाय के व्यक्तियों द्वारा नारेबाजी कर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले वांछित 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 04.10.2024 को थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा सैंकडों अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जमा होकर डासना देवी मन्दिर के सामने विशेष समुदाय के ईष्ट पर टिप्पणी के विरोध स्वरूप को लेकर नारेबाजी व सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के सम्बन्ध में थाना वेव सिटी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई।

तत्पश्चात थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 06 अभियुक्तों 1. समीर पुत्र नूर मोहम्मद नि0 वार्ड नं0 15, मोहल्ला जलाल खानी कस्बा डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद 2. साजिद पुत्र अब्दुल रशीद नि0 वार्ड नं0 13, मिर्दो वाला मोहल्ला थाना वेव सिटी गाजियाबाद 3. आमिर पुत्र इस्लामुद्दीन नि0 वार्ड नं0 4, जामा मस्जिद कस्बा डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद 4. शुऐब पुत्र साबुद्दीन नि0 वार्ड नं0 3, पुरानी पैठ कस्बा डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद 5. फरमान उर्फ फर्रू पुत्र इलियास नि0 पुरानी पैठ कस्बा डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद 6. शहजाद सैय्यद पुत्र अमरूद्दीन नि0 वार्ड नं0 13, देवी मंदिर रोड, बाबू कालोनी, कस्बा डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गई।

आज दिनांक 07-10-2024 को थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 04 अभियुक्तों 1. महबूब पुत्र रहमत ईलाही 2. जीसान पुत्र असलम निवासीगण पुरानी पैठ, डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद 3. माजिद पुत्र नन्हे खॉ 4. शुऐब पुत्र शकील निवासीगण मदीना मस्जिद के पास, उस्मान कॉलोनी, कस्बा डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद को हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्तों 1. महबूब पुत्र रहमत ईलाही 2. जीसान पुत्र असलम निवासी गण रहमान मस्जिद के पास, रामा कॉलोनी, पुरानी पैठ, डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद 3. माजिद पुत्र नन्हे खॉ 4. शुऐब पुत्र शकील निवासीगण मदीना मस्जिद के पास, उस्मान कॉलोनी, डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि हमारे ईष्ट पर दूसरे समुदाय के व्यक्तियों द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की गयी थी जिससे हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुँची थी जिसके कारण हम लोगों ने गुस्सा होकर इक्ट्ठा होकर नारेबाजी करना शुरू कर दिया था, हम लोगों में उस दिन बहुत गुस्सा था तथा पुलिस द्वारा हमें समझाया व रोका गया परन्तु हम नहीं माने और फिर हम लोग वहाँ से भाग गये थे। बाद में हमे पता चला था कि हमारे खिलाफ मुकदमा लिख गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता

1. महबूब पुत्र रहमत ईलाही निवासी रहमान मस्जिद के पास रामा कॉलोनी पुरानी पैंठ डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद, उम्र 25 वर्ष
2. जीसान पुत्र असलम निवासी रहमान मस्जिद के पास रामा कॉलोनी पुरानी पैंठ डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद, उम्र 20 वर्ष
3. माजिद पुत्र नन्हें खॉ निवासी मदीना मस्जिद के पास उस्मान कॉलोनी डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद, उम्र 19 वर्ष
4. शुऐब पुत्र शकील निवासी मदीना मस्जिद के पास उस्मान कॉलोनी डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद, उम्र 19 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना वेव सिटी पुलिस टीम

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा दुकान के अन्दर अवैध रुप से निर्मित/अर्धनिर्मित आतिशबाजी पटाखे बनाने वाले 05 अभियुक्त व 02 अभियुक्ता गिरफ्तार,कब्जे से 11 प्लास्टिक के कट्टे (आतिशबाजी पटाखे से भरे हुए) बरामद।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 06.10.2024 को थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान व मुखबिर की सूचना के आधार पर दुकान के अन्दर अवैध रुप से निर्मित/अर्धनिर्मित आतिशबाजी पटाखे बनाने वाले 05 अभियुक्त 1. समीर पुत्र शरीफ निवासी मो0 कुरेशी फरुर्खनगर टीलामोड़ उम्र 28 वर्ष, 2.आस मौ0 पुत्र हाजी भूरे निवासी मौ0 कुरेशी मदीना मस्जिद के पास टीला मोड़ उम्र 27 वर्ष, 3. मौ0 वसी पुत्र बबू निवासी चमारो वाले मंदिर के पास फरुर्खनगर के पास टीला मोड़ उम्र 32 वर्ष, 4. सुलेमान पुत्र हाजी मेहमूद निवासी म0न0 1345 गली नं0 43 जाफाराबाद मदरसे के पास थाना जाफाराबाद दिल्ली उम्र 31 वर्ष, 5. राजा कुरेसी पुत्र शरीफ निवासी असालत पुर थाना टीला मोड़ गाजियाबाद उम्र 29 वर्ष व 02 अभियुक्ता को भारत सिटी के पास बनी दुकानों के अन्दर से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 11 प्लास्टिक के कट्टे (आतिशबाजी पटाखे से भरे हुए) बरामद हुए।गिरफ्तार अभियुक्तगण व अभियुक्ता के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण: गिरफ्तार अभियुक्तगण व अभियुक्तागण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम सभी मिलकर आतिशबाजी पटाखे बनाते है। निर्मित व अर्धनिर्मित आतिशबाजी पटाखों को हम सभी मिलकर दुकानदारों को बेच देते है। जो रुपये मिलते है। उन्हें हम आपस में बांट लेते है। इस प्रकार अपने परिवार वालों का खर्चा चलाते है। दिनांक 06.10.20204 को भारत सिटी के पास बनी दुकानों के अन्दर हम सभी मिलकर पटाखे बना रहे थे तभी पुलिस वालों ने हम सभी को आतिशबाजी पटाखे बनाते हुए पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण / अभियुक्तागण का नाम व पता:

1. समीर पुत्र शरीफ निवासी मौ0 कुरेशी फरुर्खनगर टीलामोड़ उम्र 28 वर्ष।
2. आस मौ0 पुत्र हाजी भूरे निवासी मौ0 कुरेशी मदीना मस्जिद के पास टीलामोड़ उम्र 27 वर्ष।
3. मौ0 वसी पुत्र बबू निवासी चमारो वाले मंदिर के पास फरुर्खनगर के पास टीलामोड़ उम्र 32 वर्ष।
4. सुलेमान पुत्र हाजी मेहमूद निवासी म0न0 1345 गलीन0 43 जाफाराबाद मदरसे के पास थाना जाफाराबाद दिल्ली उम्र 31 वर्ष ।
5. राजा कुरेशी पुत्र शरीफ निवासी असालत पुर थाना टीला मोड़ गाजियाबाद उम्र 29 वर्ष।
6. 02 अभियुक्ता।

बरामदगी का विवरण –

- कब्जे से 11 प्लास्टिक के कट्टे (आतिशबाजी पटाखे से भरे हुए) बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तगण / अभियुक्तागण का आपराधिक इतिहास:

- गिरफ्तार अभियुक्त राजा पुत्र शरीफ निवासी उपरोक्त के विरुद्ध थाना टीलामोड़ पर पॉक्सो एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।